

उत्तराखण्ड स्टाम्प (सम्पत्ति का मूल्यांकन) नियमावली, 1997 सपठित उत्तराखण्ड स्टाम्प सम्पत्ति का मूल्यांकन(संशोधन नियमावली) 2015 के अधीन जनपद देहरादून के निबंधन उप जिला ऋषिकेश एवं नगरपालिका जोईवाला के संबंधित प्रमुख मार्ग / नगरीय क्षेत्रों / अर्द्धनगरीय / ग्रामीण क्षेत्रों के लिए न्यूनतम औसत बाजारी दरों का निर्धारण (यह दरें दिनोंक 14 जनवरी 2018 से प्रभावी होंगी)

(वीर सिंह बुदियाल)

अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व)
देहरादून

कार्यालय कलेक्टर, देहरादून

दिनोंक: 12, जनवरी 2018

- पत्रांक: 449 / स्टाम्प लिपिक-मू0सू0 / 2018
- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ, परिपालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:
- 1-प्रमुख सचिव (वित्त) उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
 - 2-महानिरीक्षक निबंधन, उत्तराखण्ड, देहरादून।
 - 3-जिला निबंधक, देहरादून।
 - 4-जिला स्टाम्प अधिकारी देहरादून।
 - 5-सहायक महानिरीक्षक निबंधन, देहरादून।
 - 6-उप जिलाधिकारी ऋषिकेश / जोईवाला ।
 - 7-उप निबंधक ऋषिकेश।
 - 8-तहसीलदार ऋषिकेश / जोईवाला ।

(एस0ए0मुरुगेशन)

आई0ए0एस0
कलेक्टर, देहरादून

(एस0 ए0मुरुगेशन)

आई0ए0एस0
कलेक्टर, देहरादून

